

## विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राककथन		v
कार्यकारी सार		vii
<b>अध्याय I विहंगावलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4
शासकीय लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	5
राजकोषीय अवशेषः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	10
लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण	1.6	14
<b>अध्याय II राज्य के वित्त</b>		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	19
राजस्व प्राप्तियाँ	2.4	20
पूंजीगत प्राप्तियाँ	2.5	29
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.6	30
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.7	30
लोक लेखा	2.8	45
ऋण प्रबन्धन	2.9	51
नकद अवशेष का प्रबन्धन	2.10	59
निष्कर्ष	2.11	62
संस्तुतियाँ	2.12	63
<b>अध्याय III बजटीय प्रबन्धन</b>		
बजट प्रक्रिया	3.1	65
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.2	68
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.3	73
आकस्मिकता निधि	3.4	80
निष्कर्ष	3.5	80
संस्तुतियाँ	3.6	80

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
<b>अध्याय IV</b>		
<b>लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएँ</b>		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ	4.1	83
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त गैर-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.2	86
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ	4.3	87
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि	4.4	89
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण	4.5	90
उपभोग प्रमाणपत्र के प्रेषण में विलम्ब	4.6	90
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.7	92
वैयक्तिक जमा खाता	4.8	93
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.9	94
बहुप्रयोजनीय मानक मद: '42—अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	4.10	97
प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.11	98
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.12	100
विभागीय आंकड़ों का मिलान न किया जाना	4.13	100
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.14	101
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	4.15	102
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले	4.16	102
निष्कर्ष	4.17	104
संस्तुतियाँ	4.18	105
<b>अध्याय V</b>		
<b>राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन</b>		
परिचय	5.1	107
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.2	109
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिफल	5.3	114
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण (ऋण भुगतान)	5.4	115
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचालन दक्षता	5.5	117
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.6	121
निष्कर्ष	5.7	123
संस्तुतियाँ	5.8	124
<b>अध्याय VI</b>		
<b>भारत के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका</b>		
परिचय	6.1	125
सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के	6.2	125

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	6.3	125
सीएजी का निरीक्षण—लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा	6.4	129
सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम	6.5	130
लेखांकन मानकों/इंड एएस के प्रावधानों का गैर अनुपालन	6.6	139
प्रबन्धन के पत्र	6.7	141
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	6.8	142
निष्कर्ष	6.9	143
संस्तुति	6.10	143
<b>परिशिष्टियाँ</b>		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध ऑकड़े	2.1	145
2016–21 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह	2.2	147
31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आधारित पूर्ण/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का विवरण	2.3	148
वर्ष 2020–21 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण	2.4	150
वर्ष 2020–21 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.1	151
2020–21 के बजट अभिलेख में केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थायें) का उल्लेख नहीं किया जाना	3.2	155
उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानकर्ता के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है	3.3	156
वर्ष 2020–21 के दौरान में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें	3.4	157
अनुदानें जिनमें विगत पांच वर्षों (2016–21) में लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.5	160
अनावश्यक पुनर्विनियोग	3.6	161
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	3.7	167
उन योजनाओं का विवरण जिनसे मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया	3.8	179

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण	4.1	181
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति	4.2	183
नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सक्षेपित वित्तीय परिणाम	5.1	184
इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किए गए पीएसयू की 31 मार्च 2021 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	5.2	188
इस अध्याय में शामिल किये गए पीएसयू की 31 मार्च 2021 को पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी	5.3	199
नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दीर्घावधि ऋणों की कुल सम्पत्ति से व्याप्ति	5.4	205
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के मध्य 30 नवम्बर 2021 को पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति के अन्तर को दर्शाती हुई विवरणी	5.5	208
राज्य पीएसयू जिनके लेखे बकाया थे, उनमें राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	6.1	216
पीएसयू की सूची जिन्होंने 01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 के मध्य लेखाओं को प्रस्तुत किया	6.2	222
पीएसयू की सूची जहां 01 जनवरी 2021 से 30 नवम्बर 2021 के मध्य सीएजी द्वारा टिप्पणी जारी की गयी	6.3	224
पदों की व्याख्या	-	225
प्रथमाक्षरी	-	227